

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम —	<b>निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना</b>
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	यह योजना सचिव बोर्ड की अधिसूचना सं० 713-20/भ०नि०बो०(197ए)/15 दिनांक 18.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना सं० 6174-184/भ०नि०बो०(197ए)-2016 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा संशोधित-योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अन्तिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किये जाने के उद्देश्य से उसके आश्रितों को एक मुश्त अन्त्येष्टि व्यय उपलब्ध कराया जाना है।
4	पात्रता की अर्हता—	लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रथमतः सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो ) को; द्वितीयतः लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक के माता/पिता और अंततः लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जाएगा।
5	आवेदन की प्रक्रिया—	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://upbocw.in/">http://upbocw.in/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।